भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. **+140**

सोमवार, **18** नवम्बर, 2019/**27** कार्तिक, 1941 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

समुद्र तट पर्यटन का विकास

+140. श्रीमती अपराजिता सारंगीः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का भारत की लगभग 7500 किमी लंबी तटरेखा को देखते हुए समुद्रतट पर्यटन को बेहतर करने हेतु किसी योजना के कार्यान्वयन का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी योजनाओं का क्या परिणाम रहा;

(ग) क्या सरकार ने समुद्रतट पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किया है; और

(घ) समुद्र तटों की स्वच्छता के संदर्भ में इनकी गुणवत्ता को सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं**?**

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ग) : समुद्र तटों और समुद्री बीचों सहित पर्यटन का विकास और संवर्द्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों द्वारा किया जाता है। यद्यपि पर्यटन मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए थीम आधारित पर्यटक परिपथों के समेकित विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना आरम्भ की है। तटीय परिपथ, जिसमें समुद्र बीच और समुद्र तट सम्मलित हैं, इस योजना के तहत विकास हेतु चिह्नित थीमेटिक परिपथों में से एक है। स्वीकृत परियोजनाओं की सूची अनुबंध पर दी गई है।

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने केन्द्रीय एजेन्सियों को सहायता स्कीम के तहत महाराष्ट्र में परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। जिनका ब्यौरा अनुबंध में है।

परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से की जाती हैं और निधियों की उपलब्धता, संगत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन तथा पहले जारी निधियों के उपयोग की शर्त पर स्वीकृत की जाती हैं।

(घ) : पर्यावरण परिस्थितियों तथा पर्यटक स्थलों के आस-पास (परिसर) की साफ-सफाई के महत्व को देखते हुए और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों, स्कूल/कॉलेज के विद्यार्थियों तथा समुद्र तटों, तीर्थ केन्द्रों तथा प्रसिद्ध पुरातात्विक स्मारकों सहित पर्यटक केन्द्रों पर हितधारकों में जागरुकता गतिविधियों को शामिल करते हुए स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) तैयार की है।

****

अनुबंध

समुद्र तट पर्यटन का विकास के बारे में दिनांक 18.11.2019 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. +140 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विवरण

स्वदेश दर्शन योजना के तटवर्ती परिपथ के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	2014-15	आंध्र प्रदेश में विश्व स्तरीय तटवर्ती एवं ईको पर्यटन परिपथ के रूप में काकीनाडा होप आईलैंड कोनासीमा का विकास	**67.84**
2	आंध्र प्रदेश	2015-16	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में श्री पोट्टी श्रीरामलू नेल्लोर में तटवर्ती पर्यटन परिपथ का विकास	**59.70**
3	पुदुच्चेरी	2015-16	'स्वदेश दर्शन' स्कीम के अंतर्गत पर्यटक परिपथ के रूप में पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र का विकास (तटवर्ती परिपथ)	**85.28**
4	पश्चिम बंगाल	2015-16	पश्चिम बंगाल में समुद्रतट परिपथ : उदयपुर-दीघा-शंकरपुर- ताजपुर- मंदारमणि- फ्रेजरगंज-बक्खलई-हेनरी द्वीप का विकास	**85.39**
5	महाराष्ट्र	2015-16	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग तटवर्ती परिपथ का विकास	**82.17**
6	गोवा	2016-17	गोवा में तटवर्ती परिपथ (सिंक्वेरियम-बागा-अंजुना-वेगेटर-मोरजिम-केरी-अगौदा किला और अगौदा जेल) का विकास।	**99.99**
7	ओडिशा	2016-17	ओडिशा में तटवर्ती परिपथ के रूप में गोपालपुर, बारकुल, सतपदा और तंपारा का विकास	**76.49**
8	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2016-17	स्वदेश दर्शन योजना के तटवर्ती थीमैटिक परिपथ के तहत अंडमान और निकोबार में तटवर्ती परिपथ का विकास (लांग आईलैंड-रास स्मिथ आईलैंड-नील आईलैंड-हैवलॉक आईलैंड-वाराटांग आईलैंड-पोर्ट ब्लेयर)	**42.19**
9	तमिलनाडु	2016-17	स्वदेश दर्शन योजना के तहत तमिलनाडु में तटवर्ती परिपथ का विकास (चैन्नई-मामल्लापुरम-रामेश्वरम-मानपाडु-कन्याकुमारी)	**99.92**
10	गोवा	2017-18	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत गोवा में तटवर्ती परिपथ **II:** रूआ दि ओरम क्रीक- डोन पौला-कोलवा- बेनौलिम का विकास	**99.35**
			कुल	**798.32**

2. पर्यटन मंत्रालय ने केन्द्रीय अभिकरणों को सहायता योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की हैं:-

(i) वर्ष 2017-18 के दौरान इंदिरा डॉक मुम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए 1250.00 लाख रुपये।

(ii) वर्ष 2016-17 के दौरान कनोजी एंग्रे लाईट हाउस के विकास के लिए 1500.00 लाख रुपये।

****